APP-A
Crime-I

FORM N0. III

फर्द अहकाम
(नियम–26)

अज अदालत संभागीय आयुक्त मुकाम अजमेर

गोपाल बनाम बिदामी व अन्य

किस्म मुकदमा/निगरानी /न0पा0–73(2ख)/2021/ 73 जिला अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपीलार्थी अधि0 – श्री तुलवीर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.04.2021	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के तथ्यो पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त यह तथ्य प्रकट हुए कि प्रस्तुत प्रकरण मे अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकर्त्ता के पक्ष में नगर पालिका बिजयनगर जिला अजमेर ने पट्टा संख्या 1332 दिनांक 04.10.2010 स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत जारी किया है जिसका पंजीयन उप पंजीयक विजयनगर जिला अजमेर के यहां दिनांक 17.01.2011 को पंजीयन हो चुका है। इसी पंजीकृत दस्तावेज को निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी मे चुनौती दी गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। निगरानीकर्त्ता ने जिस अपीलाधीन दस्तावेज को न्यायालय हाजा के समक्ष चुनौती दी है वह दस्तावेज पंजीकृत दस्तावेज है और जिसके सन्दर्भ में कोई भी चाराजोही/विधिक उपचार प्रार्थीगण/निगरानीकर्त्ता न्यायालय हाजा में प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस संबंध में प्रार्थी/निगरानीकर्त्ता सिविल न्यायालय में ही चाराजोही/विधिक उपचार प्राप्त कर सकता हैं। चूंकि पंजीकृत दस्तावेज का निरस्तीकरण एवं इन्हे चुनौती देने का अधिकार व सुनवाई की अधिकारिता माननीय सिविल न्यायालय को ही है अतः न्यायालय हाजा के समक्ष पंजीकृत दस्तावेज के संदर्भ में कोई भी निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि केवल सिविल न्यायालय ही पंजीकृत दस्तावेजों को निरस्त करने की अधिकारिता रखते है। अतएव ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से निगरानीकर्त्ता को सक्षम न्यायालय मे चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु मूल ही पुनः लौटाई जाती है। अतः प्रकरण इसी आधार पर एवं ... निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नम्बर से ... हो। (डॉ. ... प्रधान) संभागीय आयुक्त, अजमेर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:41:06 IST
Reason: SelfAttested